न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2021

अपीलांट्स–	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
1. चूनाराम पुत्र राऊराम 2. चौखाराम पुत्र राऊराम जाति मेघवाल निवासीयान श्रवण नाडी चीबी तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. राजस्थान सरकार जरिये 1.1 तहसीलदार बायतु 1.2 तहसीलदार गिड़ा 2 लालाराम पुत्र राऊराम जाति मेघवाल निवासीयान श्रवण नाडी चीबी तहसील गिडा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06.2013 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री लालाराम पूनड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 21.10.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा श्रवणनाडी के खसरा नम्बर 158, 159 व 160 रकबा क्रमशः 0–17, 0–19 एवं 193–0 बीघा के खातेदारान लालाराम चूनाराम चौखाराम पि0 रा[illegible]रम कौम भांभी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.06.2013 को त[illegible] बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी र[illegible] व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का [illegible] का निवे[illegible]या। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्ष[illegible]न के द्वारा प्रस्तुत [illegible]जन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:51 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06.2013 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा तथा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06.2013 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 2 का विश्वास कर कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये जबकि उक्त पेपरों के संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुये नहीं थे। अपीलांट्स द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बताया कि बाद में पटवारी मौक पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांकों को बिना प्रभावित करते हुये तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुये ही सही रंग भर देंगे। वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलाधीन आराजी पर बंटवाडे में बताये रंग अनुसार अपीलांट्स काबिज न होकर उससे विपरीत काबिज हैं। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जब रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपीलांट्स की रहवासी ढाणीयों व पानी के टांके अपने हिस्से में आना बताकर आवागमन में बाधा ... पर अपीलांट्स द्वारा सीमाज्ञान करवाने पर उक्त के बारे ... जानकारी हुई तब दिनांक 14.07.2021 को आवश्यक ... मांगी ... मौके की बंटवाडे की नकल मांगने पर दिनांक 15.07.2021 को ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। रेस्पोडेंट संख्या ने हलका पटवारी से मिलावट कर इकरारनामा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हस्ताक्षर के बाद नक्शा में अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष पेश किये तथा आराजी का मौका पर कब्जा–काश्त से हटाकर बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये अपनी सुविधानुसार बंटवाडा करवा दिया है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि कि मौजा श्रवणनाडी के खसरा नम्बर 158, 159 व 160 रकबा क्रमशः 0–17, 0–19 एवं 193–0 बीघा के खातेदारान लालाराम चूनाराम चौखाराम पि0 राऊीरम कौम भांभी ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.06.2013 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06. 2013 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के हिस्से में अंकित कर दी है। अपील के विचारण के दौरान अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उपस्थित होकर ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करवाने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 643 दिनांक 06.06.2013 अपास्त किया जाता है। वर्तमान में विवादित भूमि तहसील क्षेत्र गिडा के अन्तर्गत आती है अतः प्रकरण तहसीलदार गिडा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:51 IST
Reason: SelfAttested